न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 01/2022 (बांसवाड़ा आर्डर)

1. लक्ष्मण पिता स्वर्गीय हीरालाल जी ब्राहमण, निवासी कुपड़ा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. शिवलाल पिता स्वर्गीय हीरालाल जी ब्राहमण, निवासी कुपड़ा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. श्रीमती जशोदा पत्नी स्वर्गीय हीरालाल जी ब्राहमण, निवासी कुपड़ा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. धुलजी पिता शंकरलाल जी ब्राहमण, निवासी कुपड़ा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. नानुलाल पिता शंकरलाल जी ब्राहमण, निवासी कुपड़ा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. राजेन्द्र पिता शंकरलाल जी ब्राहमण, निवासी कुपड़ा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. श्रीमती हिन्दबाला पत्नी स्वर्गीय मुकेश जी ब्राहमण, निवासी कुपड़ा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. सुश्री निधि पुत्री स्वर्गीय मुकेश जी ब्राहमण, निवासी कुपड़ा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
6. तनुज पिता स्वर्गीय मुकेश जी ब्राहमण, निवासी कुपड़ा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम– 1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा
दिनांक 28.06.2022 प्रकरण सं. 44/21

––––::––––

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री राजकुमार जैन अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री यशपाल गुप्ता अभिभाषक रे. सं. 1 से 6

––––::––––

निर्णय **दिनांक 04–04–2024**

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:36:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्र[...] अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ[...] धारा 212 राजस्थान

भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के संयुक्त अधिपत्य एवं स्वामित्व की आराजी नंबर 373, 404, 843, 844, 845, 865, 903, 523, 621 कुल किता 9 रकबा 11 बीघा 9 बिस्वा भूमि ग्राम कुपड़ा, तहसील बांसवाड़ा में स्थित है, जिस पर प्रार्थीगण पूर्वजों के समय से काश्त करते चले आ रहे हैं। पक्षकारान का सजरा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार होकर सभी मूलपुरूष गंगाराम जी वारिस हैं। अप्रार्थीगण के पिता हीरालाल जी अत्यन्त चतुर व्यक्ति होने से राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर गंगाराम जी की मृत्यु होने पर विरासत से उक्त कृषि भूमियों का नामान्तरकरण संख्या 257 दिनांक 13–06–1975 को अपने नाम खुलवा लिया, जबकि गंगाराम जी की सेवा चाकरी प्रार्थीगण के पिता शंकरलाल द्वारा की गयी। उक्त तथ्य की जानकारी होने पर शंकरलाल द्वारा उपखण्ड अधिकारी के यहां घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया, जिसमें निर्णय पारित करते हुए आदेश कमांक 314–15 दिनांक 22–01–1986 को निर्णय पारित किया गया, जिसके पश्चात् नामान्तरकरण संख्या 520 दिनांक 16–06–1986 को शंकरलाल का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज किया गया। उक्त आदेश से हीरालाल जी प्रसन्न नहीं थे एवं शंकरलाल जो निरक्षर थे उन्हें धोखे में रखकर 1/2, 1/2 हिस्से का बंटवारा करने पर सहमत किया, परन्तु बंटवारा समान रूप से आधा–आधा नहीं कर हीरालाल ने कुल खेत 9 रकबा 11 बीघा 4 बिस्वाद में से स्वयं के हिस्से में 7 बीघा 11 बिस्वा व प्रार्थीगण के पिता शंकरलाल के हिस्से में 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि का गैर विधिक बंटवारा प्रशासन गांव के संग अभियान में करवा लिया, जबकि समान हिस्से अनुसार प्रार्थीगण के खाते में 5 बीघा 12 बिस्वा भूमि रखी जानी चाहिए थी। प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि पर पशुघर बना रखा है, किन्तु अप्रार्थी अब बेदखल धमकी देते हैं कि उक्त भूमि उनकी है, जिससे उन्हें रोका जाना आवश्यक है। अतः विपक्षीगण को प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजी नंबर 844 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा वर्तमान रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करने एवं किसी अन्य को विकय नहीं करने हेतु जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 28–06–2022 को प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को जरिये अस्थायी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:36:30 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

निषेधाज्ञा पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 19-07-2022 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री यशपाल गुप्ता उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि दिनांक 08-10-2001 को पक्षकारान के पूर्वाधिकारी हीरालाल व शंकरलाल द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान 2001 में जो आपसी विभाजन हुआ वह अंतिम होकर रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थीगण इससे बाध्य हैं, इसको चुनौती देने की अवधि भी गुजर चुकी है। अधिनस्थ न्यायालय के लिए भी यह बाध्यकारी प्रभाव रखता है, इसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित कर दिया। रेस्पोन्डेन्ट के पूर्वाधिकारी शंकरलाल चाहते थे कि उन्हें उनके प्राकृतिक पिता की जायदाद में से थोड़ी बहुत जमीन दे दी जावे इसी के साथ वे स्टाम्प व रजिस्ट्री खर्च बचाना चाहते था तो कुछ जमीन उनके नाम करने के लिए कोल्युजिव वाद संख्या 317/1985 पेश किया जो दिनांक 22-01-1986 को डिक्री हुआ। जिसकी कृतज्ञता को भुलाकर अब इतने सालों बाद उनके वारिसान ने अपीलान्टगण को परेशान करने की नियत से अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली है। शंकरलाल जी गोद जाने के बाद गोद के परिवार की भूमि उनके नाम आ जाने के बावजूद संतुष्ट नहीं हुए एवं हीरालाल जी से निवेदन किया कि उन्हें जाईन्दा पिता की जायदाद में से भी कुछ जमीन दी जावे, जिस पर हीरालाल जी ने न केवल भूमि दी बल्कि लेन देन में लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान से भी बचाया, जिससे शंकरलाल जी संतुष्ट हो गये एवं अपने जीवनकाल में आराजी नंबर 844 के बारे में कोई ऐतराज नहीं किया, किन्तु उनकी मृत्यु के बाद रेस्पोन्डेन्टगण ने न्यायालय को गुमराह कर अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए [illegible] के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्या[illegible] के आधार पर विधिवत विवेचन करते [illegible] के निस्तारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:36:30 IST
Reason: SelfAttested

तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान के पूर्वाधिकारी हीरालाल व शंकरलाल के मध्य दिनांक 08–10–2001 को प्रशासन गांव के संग अभियान 2001 में जो आपसी विभाजन हुआ, उसके अनुसार विवादित आराजी नंबर 844 अपीलान्टगण के पूर्वाधिकारी हीरालाल के पक्ष में रखी जाना स्पष्ट है, रेस्पोन्डेन्टगण के पूर्वाधिकारी शंकरलाल के पक्ष में अन्य आराजियात रखी गयी हैं। उक्त आदेश से हीरालाल व शंकरलाल दोनों के उत्तराधिकारी बाध्य हैं एवं उक्त आदेश के आधार पर ही जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में विवादित आराजी नंबर 844 अपीलान्टगण के नाम दर्ज की गयी है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है एवं प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थीगण के पक्ष में मानकर प्रार्थीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेकार्डेड खातेदार विपक्षीगण/अपीलान्टगण के विरूद्ध मूलवाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28–06–2022 अपास्त किया जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 04–04–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:36:30 IST
Reason: SelfAttested